न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 109 / 2014 (अपील)

उनवान

1. दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 रामकृष्ण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गणेशनगर कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम नांगलहेडी,तहसील सांगोद जिला कोटा
2. सत्यनारायण यादव आत्मज श्री रामपाल सिंह यादव जाति अहीर निवासी म0न0 765,शास्त्री नगर दादाबाडी कोटा राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज मीणा (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री जगदीश नन्दवाना (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट न01की ओर)
3. रेस्पोडेन्ट न02 अनुपस्थित

अपील बनाराजगी इन्तकाल न0 736 दिनांक 16.04.2014 न्यायालयतहसीलदार दीगोद जिला कोटा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 18.07.2024

.1 अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दीगोद के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 736 दिनांक 16.04.2014 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट न01 की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ। रेस्पोडेन्ट न02 अनुपस्थित।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

.3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है अपीलाण्ट की परदादी स्व.0 श्रीमति भूली बेवा रामचन्द्र जाति ब्राहमण के कब्जे व खाते की आराजी ख0न0 191 की 9 बीघा 16 बिस्वा, 241 की 19 बिस्वा, 369 की 12 बीघा 14 बिस्वा, तथा ख0न0 398 की 9 बीघा 4 बिस्वा कुल 4 किता की 32 बीघा 13 बिस्वा एवं ख0न0 सं0 218 की 1 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सुहाना तहसील दीगोद में स्थित है। भू प्रबन्ध के बाद उक्त खसरा नम्बरान के नये नम्बर 355, की रकबा 0.13है0 ख0न0 408 की रकबा 1.67है0 ख0न0 ,414 की रकबा 1.86 है0 ख0न0 460 की रकबा 1.44 है0 व ख0न0 534 की रकबा 0.11 हैक्टर कायम किये गये। खातेदार भूली बेवा रामचन्द्र की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात को उसके वारिसान उसकी दोनो पुत्रिया रामनाथी बाई एवं फून्दी बाई के खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनी चाहिये थी लेकिन रामनाथी बाई ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके उक्त सम्पूर्ण आराजियात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेन्ट न01 रामनाथी बाई के देवर का लडका है ,उसके एक फर्जी व कूटररचित वसीयत के आधार पर रामनाथीबाई का अपने आपको दत्तक पुत्र बताकर उक्त आराजीयात को रामनाथी बाई की मृत्यु उपरोन्त अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया गया और वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर रेस्पोडेन्ट न01 का ही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है, जबकि अपीलाण्ट भी मृतक भूलीबाई बेवा का कायम मुकाम है और उसका प्रपोत्र है। रेस्पोडेन्ट न01 को उक्त आराजी में कोई हक या अधिकार नहीं है। मृतक रामनाथी बाई को भी सम्पूर्ण आराजी की वसीयत रेस्पो0 न01 के पक्ष में करने का कोई कानूनी अधिकार ही नही, क्योकि उक्त आराजी पुश्तैनी है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 जगदीश प्रसाद के विरूद्ध पूर्व में अपील प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान में विचाराधीन है । दौराने अपील रेस्पोडेनट क्रम–1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय –पत्र दिनांक 25.03. 2024 से ख0न0 408 की रकबा 1.67 एवं ख0न0 414 की रकबा 1.86 है0कुल 2 किता की 3.53 हैक्टर भूमि को रेस्पोडेन्ट क्रम–2 को विक्रय कर दिया जिसका पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक दीगोद के यहा पंजीबद्ध हो रहा है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय –पत्र दिनांक 25.03.2014 के आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रम–3 द्वारा बिना मौके व कब्जे की जाचं किये दौराने अपील चुपचाप इंतकाल नम्बर 736 तस्दीक कर दिया। अत अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय नामान्तकरण संख्या 736 दिनांक 16.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट न01 की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है अधिनस्थ न्यायालय ने जर्ये रजिस्टर्ड पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.03.2014 के आधार पर इन्तकाल न0 736 दिनांक 16.04.2014 तस्दीक किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा विधि विरूद्ध नहीं है। अपीलाण्ट को इस सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति है तो वह पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त हेतु सक्षम न्यायालय में दावा करे। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अति० जिला कलक्टर
कोटा

6 विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त हम यह पाते है कि विवादित आराजी ख0न0 408 की रकबा 1.67 एवं ख0न0 414 की रकबा 1.86 है0कुल 2 किता की 3.53 हैक्टर भूमि वाके ग्राम सुहाना तहसील दीगोद का नामान्तरकरण संख्या 736 दिनांक 16.04.2014 को तहसीलदार दीगोद द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.03.2014 के आधार पर रेस्पोडेन्ट न0 2 के पक्ष में तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 736 दिनांक 16.04.2014 को तस्दीक करने में हम कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते है। तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस दिये गये तर्क से न्यायालय पूर्णतया सहमत है।

7 परिणामस्वरूपः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति. जिला कलक्टर कोटा, जिला कोटा
कोटा